(४)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०—स्था०1/नि०1—217/14 362 पटना, दिनांकः 02.11.17

कार्यालय आदेश

श्री उदय कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, करपी प्रखंड, अरवल के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 1218/जि०ग्रा०वि० अभिकरण दिनांक 11.11.2014 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०—98 सहपठित ज्ञापांक 581 दिनांक 13.05.2015 द्वारा श्री उदय कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2005 के नियम 9(1) (क) के तहत निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना निर्धारित किया गया तथा निदेशालय के का०आ०सं०—99 सहपठित ज्ञापांक 582 दिनांक 13.05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), अरवल को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल को नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी —सह—अपर समाहर्त्ता, अरवल के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत अपने पत्रांक —463/राजस्व दिनांक 28.06.2016 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने मंतव्य दिया है कि " तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्री कुमार, आरोपी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन , जिसमें कम अंक वाले लाभुकों के खाता नहीं खुलने की सूचना दिया जाना, इंदिरा आवास से बंचित करने का कारण नहीं हो सकता है, यह तो मात्र क्षेत्र में पाई गई स्थिति है । तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी द्वारा संबंधित पंचायत सेवक के माध्यम से योग्य लाभुकों का खाता खुलवाना अपेक्षित था। लाभुकों का खाता नहीं खुलवाने के लिए आरोपी पदाधिकारी को दोषी नही माना जा सकता है।

इंदिरा आवास के आवंटन के पूर्व श्री कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, करपी के द्वारा जो जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है तथा इंदिरा आवास के गलत आवंटन के लिए इन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः इन्हें आरोपमुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।"

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1301 दिनांक 22.06.2017 एवं पत्रांक 2187 दिनांक 06.10.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 613/रा० दिनांक 18.10.2017 के द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है कि " श्री उदय कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, करपी के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी—सह—अपर

कृ०पृ०उ०

समाहर्त्ता, अरवल के द्वारा संचालित की गई विभागीय कार्यवाही के अधिनियम का परिशीलन किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, अरवल के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का विस्तार से परीक्षण किया गया है एवं तथ्यपरक निष्कर्ष पाया गया। विभागीय कार्रवाई के अधिगम को स्वीकृत किया जा सकता है।''

अतः संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता अरवल द्वारा भेजे गये जॉच प्रतिवेदन एवं उस जॉच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, अरवल के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उदय कुमार पर गठित आरोप प्रपत्र'क' में लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है। इसके फलस्वरूप निलंबन के इनकी अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जाएगी।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/नि०1–217/14 2428 पटना, दिनांक : 02-11-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, अरवल/पटना।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल/पटना।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर डालने हेतु प्रेषित।
5. श्री उदय कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

PD 2/11/17
निदेशक